भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5381

25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न

5381. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत देश भर में राज्य-वार कितने लाभार्थी परिवारों/व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) विगत वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत वितरित किए गए नि:शुल्क खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा क्या है और उन पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संयुक्त कार्यान्वयन से गरीबों, वंचितों, प्रवासी श्रमिकों और अंत्योदय परिवारों की खाद्य और पोषण सुरक्षा में ठोस सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख संकेतक/ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत चोरी को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए आधार सीडिंग, ई-पीओएस मशीन, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी प्रणालियां लागू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को वर्ष 2025 के दौरान 4,95,49,736.45 टन खाद्यान्न वितरित किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के रूप में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और विकेंद्रीकृत खरीद वाले राज्यों को 1,99,499.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

(ग): पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण से गरीब लाभार्थियों का वित्तीय बोझ कम होता है। इससे लक्षित आबादी के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता और सुगमता के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होती है। यह योजना पूरे देश में एक एकीकृत संस्थागत तंत्र भी प्रदान करती है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों की कठिनाइयों को दूर करती है।

...2/-

(घ): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं-

i. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डेटाबेस को पूरी तरह से डिजिटाइज़ (100%) कर दिया गया है। 99.7% राशन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं।

ii. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू किए गए हैं।

iii. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकदी अंतरण योजना अपनाई है) आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया गया है ।

iv. राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी), जिसे लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के नाम से जाना जाता है, सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा चुकी है और इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के सभी लाभार्थी शामिल हैं। आज तक, ओएनओआरसी के तहत 207 करोड़ से अधिक सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) लेनदेन दर्ज किए जा चुके हैं।

v. देश में कुल 5.51 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से 5.50 लाख से अधिक (99.8%) दुकानों को लाभार्थियों के आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के लिए ई-पीओएस उपकरण स्थापित करके स्वचालित कर दिया गया है।

अनुबंध

''एनएफएसए'' के अंतर्गत खाद्यान्न के संबंध में लोकसभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5381 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.03.2026 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की राज्यवार संख्या।

क्र. सं.	राज्य का नाम	लाभार्थी संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	61,334
2	आंध्र प्रदेश	2,68,20,046
3	अरुणाचल प्रदेश	8,71,000
4	असम	2,48,94,794
5	बिहार	8,48,63,631
6	चंडीगढ़	3,42,954
7	छत्तीसगढ	1,99,73,683
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,63,375
9	दिल्ली	72,20,350
10	गोवा	4,76,303
11	गुजरात	3,36,90,403
12	हरियाणा	1,26,49,000
13	हिमाचल प्रदेश	28,54,661
14	जम्मू और कश्मीर	67,47,172
15	झारखंड	2,62,91,129
16	कर्नाटक	4,01,93,243
17	केरल	1,50,65,170
18	लद्दाख	1,13,803
19	लक्षद्वीप	20,095
20	मध्य प्रदेश	5,38,07,137
21	महाराष्ट्र	6,81,42,337
22	मणिपुर	21,10,378
23	मेघालय	21,36,855
24	मिजोरम	7,06,000
25	नागालैंड	11,35,570
26	ओडिशा	3,23,78,964
27	पुदुचेरी	6,34,000
28	पंजाब	1,41,51,000
29	राजस्थान	4,39,80,284
30	सिक्किम	3,76,580
31	तमिलनाडु	3,64,70,000
32	तेलंगाना	1,90,80,021
33	त्रिपुरा	23,34,864
34	उत्तराखंड	60,23,384
35	उत्तर प्रदेश	14,71,47,428
36	पश्चिम बंगाल	5,99,75,666
	कुल	**79,40,02,614**
